अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

सेवा अपील वाद संख्याः 485/2013

महादेव राम —— अपीलार्थी

बनाम

राज्य —— रेस्पोण्डेन्ट

–::आदेश::–

प्रस्तुत सेवा अपील वाद अपीलार्थी द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1318–2/स्था0दिनांकः 14.09.2012 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

प्रस्तुत सेवा अपील वाद संक्षेप में मामला यह है कि बाढ़ 2008 के उपरान्त अंचल कार्यालय छातापुर में बाढ़ सहाय्य अनुदान वितरण में हुई अनियमितता की जॉच अपर समाहर्त्ता, सुपौल की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय जॉच दल का गठन किया गया वो उक्त आलोक में अपर समाहर्त्ता, सुपौल के पत्रांक 35–2/रा0 दिनांक 13.01.2010 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के मद्देनजर छातापुर अंचल में बाढ़ 2008 से संबंधित राहत वितरण कार्य में बरती गई वित्तीय अनियमितता तथा चेक के माध्यम से सरकारी राशि की फर्जी निकासी में संलिप्त रहने व्यवहृत/ अब्यवहृत चेकों के लेखा संधारण एवं सुरक्षा में धोर लापरवाही बरतने के आरोप में अपीलार्थी (महादेव राम, प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय छातापुर) को कार्यालय आदेश ज्ञापांक 78–2/गो0, दिनांक 14.01.2010 द्वारा निलंबित करते हुए कार्यालय पत्रांक 706–2/स्था0 दिनांक 16.08.2010 द्वारा श्रीमोहन प्रसाद, उप विकास आयुक्त, सुपौल को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, छातापुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया वो संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1505 सपत्र/ अभि0 दिनांक 10.07.2012 से महादेव राम के विरूद्ध गठित आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर संचालन प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को प्राप्त कराया गया। विज्ञ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा श्री महादेव राम निलंबित प्रधान लिपिक अंचल कार्यालय, छातापुर के विरूद्ध गठित आरोप, विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन एव श्री राम के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर सम्यक विचारोपरान्त ज्ञापांक 1318–2 दिनांक 14.09.2012 द्वारा निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गये है–

1. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) निरयमावली 2005 के भाग V के नियम 14 (VII) के तहत स्थायी रूप से नियुक्ति के वेतनमान 5200–20200 पर अवनत की सजा अधिरोपित की जाती है। भविष्य में इन्हें कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगा वो अंचल अधिकारी, छातापुर को उपरोक्त की प्रविष्टि श्री राम के सेवापुस्त में करने हेतु निदेशित किया गया है। इसी के विरूद्ध इस न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि विज्ञ अपर समाहर्त्ता, सुपौल एवं पुलिस जॉच में बाढ़ 2008 से संबंधित राहत वितरण कार्य में अपीलार्थी के किसी प्रकार की वित्तीय अनियमिता नहीं किया जाना वो खाली चेक के दुरूपयोग एवं राशि का गवन में अपीलार्थी का किसी प्रकार का हाथ होना नहीं पाया गया है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी को ज्ञापांक 78–2 दिनांक 14.01.2010 द्वारा निलंबित किया गया वो ज्ञापांक 706–2 दिनांक 16.08.2010 द्वारा विभागीय कार्य प्रारम्भ किया जाना बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10(7) के विरूद्ध बताते हुए विज्ञ जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय इस विन्दु पर विचार नहीं किया जाना बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन में लगभग दो वर्षो का समय लिया गया यह बी0सी0सी0–A नियमों के विरूद्ध है विज्ञ जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय इस विन्दु पर विचार नहीं किया जाना बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि विज्ञ जिला पदाधिकारी, सुपौल का पारित आदेश नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों वो विधि के विरूद्ध हैं ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि विज्ञ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा अपीलार्थी द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा एवं अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये परिशिष्टों पर विचार नहीं किया गया ।

सरकारी विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में सरकार के पक्ष में कथन करते हैं कि विज्ञ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा अपीलार्थी को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने उपलब्ध अभिलेख के साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय जिला पदाधिकारी द्वारा श्री महादेव राम तत्कालीन प्रधान लिपिक, छातापुर को विभागीय कार्यवाही संचालन उपरांत लेखा संधारण एवं राशि के फर्जी निकासी का दोषी पाया गया। विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान उन्हें नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के अनुसार पर्याप्त अवसर दिया गया एवं संचालन पदाधिकारी ने आरोप की पुष्टि की । श्री महादेव राम द्वारा दाखिल अपील आवेदन से इस दावे की पुष्टि नहीं होती है कि चेक के लेखा संधारण का जबाबदेही नाजिर की थी न कि उनकी थी एवं इस राहत कार्य में किसी वित्तीय अनियमितताओं के लिए वे सहयोगी नहीं हैं। वे पूर्णतया सरकार द्वारा प्रतिपादित प्रावधानों के प्रतिकूल अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक एवं लेखापाल के रूप में चेक की जॉच नहीं की जबकि इसके साथ साथ उनको लेखा संधारण करने की नाजिर के साथ संयुक्त रूप से जबावदेही हैं, किसी प्रकार के चेक के गायब होने एवं लेखा का संधारण नहीं होने पर प्रधान सहायक को नियत्रित पदाधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिए थी , लेकिन उनके द्वारा लेखा का संधारण एवं चेक का संधारण नहीं किया गया एवं उस संबंध में नियंत्री पदाधिकारी को उनके द्वारा नहीं बताया गया । उल्लेखनीय

है कि गायब चेक के आधार पर राजस्वकर्मी को दोषी ठहराने से प्रधान सहायक श्री राम अपने जबाावदेही से नहीं बच सकते हैं। जॉच पदाधिकारी ने यह भी पाया था कि दिनांक 20.12.2009 को रोकड़ बही के जॉच के कम में दिनांक 03.08.09 तक ही रोकड़ बही का संधारण पाया था। इस प्रकार चार माह से रोकड़ बही संधारण नहीं करने की जानकारी वरीय पदाधिकारी को नहीं दी गयी और न ही रोकड़ बही संचालन उनके द्वारा किया गया, जबकि रोकड़ बही का संचालन नाजिर के साथ संयुक्त रूप से किया जाना था ।

अतः अनुशासनिक पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत गम्भीर कदाचार एवं सरकारी कार्यो में लापरवाही का दोषी पाने के कारण इनकी नियुक्ति के वेतनमान में अवनति की सजा दी गयी जो उचित है। इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा